## न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

आदेश	दिनॉक-	-23.10	.2017
O(144)	14'114'	ZJ. 10	.2011

प्र0कं0 501/12 विद्युत

म०प्र० विद्युत 🥎 🔦	अभियोगी
<u>/ / बनाम / /                                  </u>	
किशनलाल आदि 🔨	आरोपी

## Order sheet (contd)

case N0- 501/of 2012 F.N.-230301015962012

Λ.	1.11250501015502012		
Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary	
23 <u>.10.2017</u>	परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुमार दुबे अधिवक्ता। अभियुक्त किशनलाल एवं सुभाष शर्मा अनुपस्थित। प्रकरण अभियुक्त किशनलाल एवं सुभाष शर्मा की उपस्थिति हेतु नियत है।  पुलिस थाना मेहगाँव जिला भिण्ड से अभियुक्त किशनलाल एवं सुभाष शर्मा का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गये है एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहे है। फरारी साक्ष्य में साक्षी प्रधान आरक्षक बालिकशन सिंह उपस्थित हैं।  उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है।  उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अभियुक्त किशनलाल एवं सुभाष शर्मा को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे। धारा 82 द0प्र0सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं० के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्तगण की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपीगण फरार हैं। तद्ानुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर		

लाल स्याही से अंकित की जावे।
प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अविध में दाखिल
अभिलेखागार किया जावे।
सही /—
(डॉ० कुलदीप जैन)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत)
भिण्ड (म०प्र०)

WITHOUT PRESIDENT TO THE PARTY OF THE PARTY